(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3215—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—09—2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1054/अपील/2011—12.

....

देवनारायण शर्मा पुत्र श्री प्राणपति शर्मा
निवासी ग्राम अमहां तहसील मनगवां
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—त्रिवेणी प्रसाद पटेल पुत्र श्री मथुरा प्रसाद पटेल
2— श्रीमती रामवती पटेल पत्नी स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
3— देवेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
4— संजय पटेल पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
5— कु0 माण्वी पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
6— कु0 सीता पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
7— कु0 सविता पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
8— कु0 गीता पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
9— कु0 प्रीती पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पटेल
सभी निवासी ग्राम गोदरी न0 27 तहसील मनगंवा
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री अरविन्द पाण्डे, एवं श्री आर0 एस0 सेंगर
अभिभाषकगण, आवेदक
श्री मनोज कुमार द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 15-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक देवनारायण पिता प्राणपति निवासी अमहां द्वारा ग्राम की आराजी कमांक 14/2 रकवा 4.98 एकड़ की नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। पटवारी प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर एवं कच्ची टीप के आधार पर नायव तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा ने दिनांक 13.4.05 को नामांतरण स्वीकृत किया गया। इससे परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 29.5.12 को अपील स्वीकार की गई और नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.5.12 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 9.9.16 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की अपील निरस्त की गई। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील में उठाये गये बिन्दुओं को वगैर निष्कर्ष दिये किसी भी बिन्दु का विनिश्चय नहीं किया है और ना ही तात्विक रूप से निराकरण ही किया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 14/2 आवेदक के पूर्वाधिकारी के नाम से दर्ज अभिलेख थी, तथा वर्तमान समय में उपरोक्त भूमि पर पुस्तैनी रूप से कब्जा आवेदक का है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि पूर्वाधिकारी प्राणपति शर्मा की मृत्यु दिनांक 16.3.58 को हो गयी थी, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अनावेदकगण के हक में कैसे विकी की जा सकती है, यहां पर यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अनावेदकगण के पिता पूर्वाधिकारी श्री मथुरा प्रसाद ने उपरोक्त भूमि को आवेदक के हक में कच्ची बैची टीप के माध्यम से विकी किया था फिर पुनः आवेदक के हक में विक्रयकर दिया वैसे भी उपरोक्त भूमि मौके से आवेदक काबिज दाखिल पुस्तैनी तौर पर चला आ रहा है। अनावेदकगण ने जो

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.11.1960 का जिक्र करते हुये भूमि क्रय किया जाना बताया है वह पूर्णतः फर्जी है क्यों कि जिस व्यक्ति से भूमि क्रय करना बता रहे हैं उनकी मृत्यु दिनांक 16.3.58 को हो गई थी। ऐसी स्थिति में अनावेदक के पूर्वाधिकारी श्री मथुरा प्रसाद ने पुनः भूमि आवेदक के हक में हस्तांतरित कर दिया इन सभी तथ्यों को दोनों अपीलीय न्यायालयों को ध्यान में रख कर आदेश पारित करना चाहिये था। आवेदक ने उक्त भूमि का नामांतरण आनावेदकगण की पूरी जानकारी में कराया था। अनावेदकगण ने झूठा आधार रजिस्ट्री वर्ष 1960 यानि 2.11.1960 को बनाया जबकि आंवेदक के पिता की मृत्यु वर्ष 1958 में हो गयी थी, इसी वजह से अनावेदकगण के पिता ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही उक्त रजिस्ट्री विक्रय पत्र का नामांत्रण ही कराया। अनावेदक के पास वर्ष 1960 की यदि वास्तविक रजिस्ट्री होती तो अनावेदकगण के पूर्वाधिकारी ही उक्त रजिस्ट्री का नामांत्रण समय सीमा के अन्दर कराते लेकिन विक्रय पत्र वास्तविक नहीं था, पूर्णतः फर्जी था, ऐसी स्थिति में दोनों अपीलीय न्यायालयों को उक्त तथ्य पर ध्यान देना चाहिये था। उनका तर्क यह भी है कि विचारण न्यायालय में जो कार्यवाही दिनांक 14.3.05 को हुई उसमें विधिवत इस्तहार का प्रकाशन कराया गया मौके से पटवारी प्रतिवेदन लिया गया, अनावेदकगण को सूचना भेजी गई लेकिन उपरोक्त भूमि के संबंध में तहसील न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की गई और ना ही उक्त विक्रय पत्र का उल्लेख ही किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को कायम रखने में पूर्णतः गलत है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश हैं उनको निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13.4.05 स्थिर रखने का अनुरोध करते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त भूमि अनावेदकगण के पिता ने आवेदक के पिता से दिनांक 15.6.65 को रूपये 1200/–में क्रय की गई थी। आवेदक द्वारा फर्जी विक्रय टीप बनाकर नामांतरण करा लिया गंया है और उसकी सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये वगैर नामांतरण करा लिया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा

गया है कि मात्र 90/–रूपये में विकय बेची टीप के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि जिन गवाहों द्वारा विचारण न्यायालय में साक्ष्य दिये गये हैं उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में शपथ पत्र देकर बताया गया है कि विचारण न्यायालय में हमने कभी किसी प्रकार की गवाही नहीं दी गई है। अंत में उनके द्वारा बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा का आदेश एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है तथा आवेदक की निगरानी निरस्त करने का भी अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक देवनारायण पिता प्राणपति निवासी अमहां द्वारा ग्राम की आराजी कमांक 14/2 रकवा 4.98 एकड़ की नामांतरण हेतु नायव तहसीलदार सिरमौर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। पटवारी प्रतिवेदन एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर एवं कच्ची टीप के आधार पर नायव तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा ने दिनांक 13.4.05 को नामांतरण स्वीकृत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि जगदीश प्रसाद पटेल व त्रिवेणी प्रसाद पटेल को तामील शुदा नोटिस की प्रतियां संलग्न है, उसमें फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है। अन्य पत्रों में किये गये हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। यहां यह बात विचारणीय है कि अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा द्वारा यह कहना कि नोटिस में फर्जी जगदीश प्रसाद, त्रिवेणी प्रसाद पटेल के फर्जी हस्ताक्षर हैं। बिना किसी लेखक एक्सपर्ट के जांच कराये बिना यह नहीं कहा जा सकता कि यह हस्ताक्षर फर्जी है । यह एक और बात विचारणीय है कि अनावेदकगण द्वारा विकय पत्र दिनांक 2.11.1960 का संलग्न किया गया है जिसमें प्राणपति तनय अयोध्या प्रसाद द्वारा उक्त भूमि विकय की गई बताया गया है जबकि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्राणपति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें उनकी मृत्यु दिनांक 16.3.1958 को बताया गया है। इस ओर भी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। अतः विकय पत्र दिनांक 2.11.1960 का है जबकि मृत्यु दिनांक 16.3.1958 में हो चुकी है। अतः अनुविभागीय

अधिकारी मनगंवा एवं अपर आयुक्त रीवा के आदेश त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होते हैं जिन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा का प्रकरण कमांक 248/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29.5.12 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 1054/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 9.9.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायव तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 04/अ–6/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2005 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर